हेमरेड्डी (डी) एलआर के माध्यम से।

वी.

रामचंद्र यल्लपपा होसमनी और ओआरएस।

(2008 की सिविल अपील सं. 4103)

07 मई, 2019

[अशोक भूषण और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-Or.XXII, rr. 2 , 3 & 4 और Or.41-वादी (अपीलार्थी और उसके दिवंगत भाई) का मामला है कि एक 'जी' की मृत्यु हो गई और वह अपने पीछे दो बेटे ('एसआर' और 'बी') और एक बेटी छोड़ गया

वादी 'एस. आर.' के बच्चे थे-वादी ने दूसरे प्रतिवादी, 'बी' की पत्नी के खिलाफ यह घोषणा करने के लिए मुकदमा दायर किया कि मुकदमा संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं है और गोद लेने का दस्तावेज डी. टी. डी. है। 27.04.91 पहले प्रतिवादी को अपनाना एक झूठा दस्तावेज था-ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे को खारिज कर दिया और गोद लेने को बरकरार रखा-वादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष पहली अपील को प्राथमिकता दी-अपील के लंबित रहने के दौरान, दूसरे वादी/दूसरे अपीलार्थी की मृत्यु हो गई-उनके एल. आर. को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया-उच्च न्यायालय ने कहा कि अपील को न केवल दूसरे अपीलार्थी/वादी के लिए बल्कि समग्र रूप से समाप्त कर दिया गया-अभिनिर्धारित किया गयाः Or.XXII, आर. 3 यू/Or.41-Or.XXII के तहत दायर अपीलों पर भी लागू होता है। आर. 3 इसलिए तब लागू होता है जब एक से अधिक वादी/अपीलार्थियों द्वारा कोई मुकदमा या अपील दायर की जाती है और वादी/अपीलार्थियों में से किसी एक की मृत्यु पर मुकदमा करने का अधिकार केवल शेष वादी/वादी या अपीलार्थी/अपीलार्थियों के पास ही नहीं रहता है, तो मृतक पक्ष के एल. आर. रिकॉर्ड में आ सकते हैं-ऐसा नहीं होने पर, जहां तक मृतक पक्ष का संबंध है, कार्यवाही कम हो जाएगी-वर्तमान मामले में, अपीलार्थी के मृत भाई के लिए कानूनी प्रतिनिधि उपलब्ध थे-यह स्वीकार किया जाता है कि उनके प्रतिस्थापन के लिए कदम नहीं उठाए गए थे-अपील, इसलिए, मृत भाई की अपील को निरस्त कर दिया गया और निचली अदालत की डिक्री उसके कारण अंतिम हो गई-जिसका प्रभाव -

समान और एक ही विषय के संबंध में दो फरमानों का सामना करना पड़ेगा-अपीलार्थी और उसके दिवंगत भाई ने वादी के रूप में यह घोषणा करने के लिए मुकदमा दायर किया कि पहला प्रतिवादी गोद लिया हुआ बेटा नहीं था और उसके पास कोई अधिकार नहीं था-उनके द्वारा स्थापित अधिकार संयुक्त था-वे संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य थे जिसमें स्वर्गीय 'जी', उनके पिता 'एसआर' और 'बी' शामिल थे-यह एक ऐसा मामला नहीं है जिसमें उनके दावे स्पष्ट थे केवल यह तथ्य कि अपीलार्थी को उच्च न्यायालय द्वारा एक अंतर्वर्ती आदेश द्वारा अपील पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी, असंगत डिक्री द्वारा उत्पन्न कानूनी बाधा को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा जो कानूनी प्रतिस्थापन करने में विफलता के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। दिवंगत भाई का प्रतिनिधि और उसके दिवंगत भाई द्वारा दायर अपील को समाप्त करना।

अभ्यास और प्रक्रिया-प्रक्रियात्मक आवश्यकता बनाम मूल कानून के सिद्धांत-पर चर्चा की गई।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1.1 प्रक्रिया न्याय का पहला हाथ है, कानून की तकनीकीताओं को इस पर हावी नहीं होने दिया जाना चाहिए

न्याय की माँगें और योग्यता के आधार पर किसी मामले पर विचार करने वाले न्यायालय के मार्ग में बाधाएं सामान्य रूप से नहीं होनी चाहिए।

अपूरणीय। दूसरी ओर, यदि तथाकथित प्रक्रियात्मक आवश्यकता को न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए मूल कानून के एक संपूर्ण सिद्धांत से लिया जाता है, तो इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि आदेश XXII, नियम 3, सी. पी. सी. आदेश 41 के तहत दायर अपीलों पर भी लागू होता है। आदेश XXII, नियम 3 घोषणा करता है कि जहां दो या दो से अधिक वादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार अकेले जीवित वादी या वादी के पास नहीं रहता है, तो अन्य बातों के साथ-साथ न्यायालय एक आवेदन पर यह आदेश दे सकता है कि

मृतक वादी के कानूनी प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करें और मुकदमे के साथ आगे बढ़ें। उप-नियम (2) में प्रावधान है कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो मुकदमा तब तक समाप्त हो जाएगा जब तक कि मृतक वादी चिंतित हैं। इसलिए आदेश XXII, नियम (3) तब लागू होता है जब एक से अधिक वादी या अपीलार्थियों द्वारा मुकदमा या अपील दायर की जाती है। यह एकमात्र वादी या एकमात्र अपीलार्थी होने पर लागू होने के अलावा है। ऐसी स्थिति में, वादी या अपीलकर्ताओं में से किसी एक की मृत्यु होने पर और मुकदमा करने का अधिकार केवल शेष वादी/वादी या अपीलार्थी/अपीलार्थी के पास नहीं रहता है, तो मृतक पक्ष के एल. आर. रिकॉर्ड पर आ सकते हैं। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो आम तौर पर कार्यवाही [2019] 7 एस. सी. आर. होगी।

जहाँ तक मृतक पक्ष का संबंध है, इसे कम करें। दूसरे अपीलार्थी के लिए कानूनी प्रतिनिधि उपलब्ध थे। यह ऐसा मामला नहीं है जहां दूसरे अपीलार्थी की संपत्ति उत्तरजीवी द्वारा या अन्यथा अपीलार्थी को दी जाएगी। इसलिए, आदेश XXII, नियम 3 को संचालित करने की अनुमति देने के लिए पहली आवश्यकता पूरी की जाती है। मान लीजिए, प्रतिस्थापन के लिए कदम नहीं उठाए गए थे

दूसरे अपीलार्थी को ध्यान में रखते हुए। इसलिए अपील को निरस्त कर दिया गया।

जैसा कि आदेश XXII, नियम 3 (2) द्वारा घोषित किया गया है। यद्यपि आदेश XXII, नियम 2 घोषणा करता है कि यह सब कुछ है, सिद्धांत विकसित हुआ है कि कुछ प्रकार के मुकदमों में, एक पक्ष के उपशमन के परिणाम केवल मृतक पक्ष तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि यह अन्य सभी पक्षों और मुकदमेबाजी को ही प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में, एक मुकदमा या एक अपील, जैसा भी मामला हो, समग्र रूप से कार्यवाही के कम होने से असामयिक रूप से समाप्त हो जाएगी। [पैरा 7-9] [270-ए-बी; एफ-एच; 271-ए-सी] 1.2 दिवंगत भाई के संबंध में अपील समाप्त होने के बाद, निचली अदालत का आदेश मृतक के लिए अंतिम आदेश बन गया है।

अपीलार्थी का भाई। उसी का प्रभाव यह है कि गोद लेना कानूनी पाया जाता है। अपीलार्थी को आगे बढ़ने और अपील में सफल होने की अनुमति दिए जाने का परिणाम उच्च न्यायालय द्वारा एक डिक्री पारित करना होगा। उक्त डिक्री इस प्रभाव से होगी कि गोद लेना अमान्य है। अपीलार्थी और उसके दिवंगत भाई द्वारा संयुक्त रूप से दायर किए गए मुकदमे का फैसला करना होगा, जबकि अपीलार्थी और उसके दिवंगत भाई द्वारा दायर मुकदमे को निचली अदालत द्वारा खारिज कर दिया जाता है। दोनों आदेश एक साथ नहीं रह सकते हैं। अपरिवर्तनीय संघर्ष होगा। प्रतिवादी आम हैं। उन्हें एक ही विषय के संबंध में दो फरमानों का सामना करना पड़ेगा जो अपरिवर्तनीय रूप से परस्पर विरोधी हैं। आदेश XXII, नियम 3 आदेश XXII, नियम 4 के विपरीत के लिए प्रदान करता है। अर्थात् आदेश XXII, नियम 3 एक ऐसे मामले से संबंधित है जहां एक या अधिक वादी या अपीलार्थी या एकमात्र वादी या एकमात्र अपीलार्थी की वाद या अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो जाती है। दूसरी ओर आदेश XXII, नियम 4 एक ऐसे मामले से संबंधित है जहां मुकदमों में एक या अधिक प्रतिवादी या एकमात्र प्रतिवादी या प्रतिवादी या एकमात्र प्रतिवादी हैं।

अपील में प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है। इन दोनों मामलों में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रावधानों को लागू करने के लिए यह एक पूर्ववर्ती शर्त है कि मुकदमा करने का अधिकार शेष वादी/अपीलार्थियों (आदेश XXII, नियम 3) या शेष एक या दो अपीलार्थियों के पास नहीं है और मुकदमा करने का अधिकार प्रतिवादी हेमरेड्डी (डी) के खिलाफ नहीं है।

वी. रामचंद्र यल्लपपा होसमनी

या मुकदमे में प्रतिवादी या अकेले अपील में प्रतिवादी या एकमात्र प्रतिवादी या जीवित प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार बना रहता है। आदेश XXII, नियम 2 एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहाँ एक से अधिक वादी और प्रतिवादी हैं और उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार अकेले जीवित वादी या वादी या अकेले जीवित प्रतिवादी या प्रतिवादियों के खिलाफ रहता है, मुकदमा या अपील जीवित वादी या वादी/अपीलार्थी या अपीलार्थी के आग्रह पर या जीवित प्रतिवादी या प्रतिवादियों के खिलाफ की जाएगी।

अपील में वाद/प्रतिवादी। [पैरा 11,13] [271-एच-; 272-ए-बी; 276-सी-एफ]

1.3 अपीलार्थी और उसके दिवंगत भाई ने एक घोषणा के लिए वादी के रूप में मुकदमा दायर किया कि पहला प्रतिवादी गोद लिया हुआ बेटा नहीं था और

उसका कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने निषेधाज्ञा की भी मांग की। निचली अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया। विपरीत स्थिति लेते हुए और यह मानते हुए कि मुकदमा निचली अदालत द्वारा घोषित किया गया था और अपील प्रतिवादियों द्वारा की गई थी, और प्रतिवादियों द्वारा अपील लंबित है, यदि अपीलार्थी के दिवंगत भाई की मृत्यु हो गई थी और यदि प्रतिवादियों ने कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया था

दिवंगत भाई और उसके खिलाफ अपील समाप्त हो गई, क्या तब अपील में प्रतिवादी के रूप में अपीलार्थी के लिए यह तर्क देना खुला नहीं होगा कि यदि अपील को उसके दिवंगत भाई के कानूनी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में आगे बढ़ने की अनुमति दी जानी थी और सफल होना था, तो एक असंगत डिक्री होगी। एक ओर, विचारण न्यायालय द्वारा यह घोषणा करते हुए एक डिक्री होगी कि पहला प्रतिवादी गोद लिया हुआ पुत्र नहीं था और अपीलार्थी के दिवंगत भाई की संपत्ति में उसका कोई हित नहीं था। दूसरी ओर, अपीलीय न्यायालय को एक डिक्री पारित करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है जिसका प्रभाव यह होना चाहिए कि पहला प्रतिवादी गोद लिया हुआ पुत्र पाया गया था और संपत्ति पर उसका अधिकार और हित था और उस प्रभाव की घोषणा करनी होगी। क्या अपीलीय न्यायालय को तब अनिवार्य रूप से यह निर्णय नहीं लेना होगा कि यद्यपि अपीलार्थी के मृत भाई के पक्ष में डिक्री अंतिम हो गई है, और इसके तहत एक घोषणा दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 गोद लिया हुआ पुत्र नहीं है और उसे संपत्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है और उसके खिलाफ एक निषेधाज्ञा है कि वह गोद लिया हुआ पुत्र है जो उस डिक्री का विरोध करता है जो निचली अदालत द्वारा पारित की गई है जिसने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है। अपीलीय अदालत को वास्तव में इस आधार पर अपील के साथ आगे बढ़ने से इनकार करना होगा कि [2019] 7 एस. सी. आर.

प्रतिवादियों द्वारा अपील एक अपीलीय डिक्री की ओर ले जाएगी जो उस डिक्री के साथ असंगत है जो अपीलार्थी के मृत भाई के खिलाफ अंतिम हो गई है। स्थिति कोई अन्य अलग नहीं हो सकती है, जब उपरोक्त परिदृश्य के विपरीत पर विचार किया जाता है जो इस मामले में प्राप्त होने वाला तथ्यात्मक मैट्रिक्स होता है। अपीलार्थी द्वारा अपने दिवंगत भाई के साथ जो अधिकार स्थापित किया गया था, वह संयुक्त था। वे अपने दिवंगत पिता से मिलकर बने संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य थे और जिसमें स्वर्गीय 'जी', उनके पिता 'एसआर' और 'बी' शामिल थे। यह ऐसा मामला नहीं है जहां उनके दावे अलग-अलग दावे थे। [पारस 18,19] [284-डी-एच; 285-ए-सी]

कार्यवाही, और इसलिए, मुकदमे को खारिज करने वाली निचली अदालत की डिक्री को दो अलग-अलग फरमानों के रूप में माना जाना चाहिए-एक अपीलार्थी के खिलाफ और दूसरे के खिलाफ उसके दिवंगत भाई के खिलाफ डिक्री। फिर भी, वह डिक्री, जिसे पारित करने के लिए उच्च न्यायालय को आमंत्रित किया जाएगा, अपीलार्थी के दिवंगत भाई के खिलाफ डिक्री के साथ विरोधाभासी और असंगत होगी जो कानून में अनुमेय नहीं हो सकती है। डिक्री, जो अपीलार्थी अपील में सफल होने पर प्राप्त करेगा, उस डिक्री के बिल्कुल विपरीत होगी जो

अपने दिवंगत भाई और के बीच भी अंतिमता प्राप्त की है

अभियुक्त। वे परस्पर अपरिवर्तनीय हैं, पूरी तरह से असंगत हैं। एक तरफ से एक तरफ लेटने पर, केवल एक ही धारणा होगी कि एक दूसरे के दांतों में है। एक में, वाद खारिज कर दिया जाता है जबकि दूसरे में, वाद का फैसला किया जाता। यह तर्क कि 10/09/2001 पर पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए जिसके द्वारा अपीलार्थी के दिवंगत भाई की मृत्यु के बावजूद, मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई

अदालत द्वारा दी गई अपील के खिलाफ यह अभिनिर्धारित करते हुए आदेश पारित किया जा रहा है कि अपील को समग्र रूप से समाप्त कर दिया गया है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी के दिवंगत भाई की मृत्यु का प्रभाव एक डिक्री की असंगतता से उत्पन्न होता है जो अंतिम हो गया है डिक्री जिसे अपीलार्थी अपीलीय न्यायालय को पारित करने के लिए आमंत्रित करता है।

हेमरेड्डी (डी) में एलआर के माध्यम से। वी. रामचंद्र यल्लपपा होसमनी

ऐसी परिस्थितियों में, केवल यह तथ्य कि अपीलार्थी को एक अंतर्वर्ती आदेश द्वारा अपील पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी, असंगत डिक्री द्वारा उत्पन्न कानूनी बाधा को दूर करने के लिए पर्याप्त है जो दिवंगत भाई के कानूनी प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित करने में विफलता और उसके दिवंगत भाई द्वारा दायर अपील को समाप्त करने के परिणामस्वरूप उभरता है। [पारस 20-22] [285-D-H; 286-A-C]

एल. आर. एस. द्वारा सरदार अमरजीत सिंह कालरा (मृत)। और अन्य

वी. एलआरएस द्वारा प्रमोद गुप्ता (श्रीमती) (डी)। और अन्य; 2003

(3) एससीसी 272: [2002] 5 पूरक। एस. सी. आर. 350; पंजाब बनाम. नाथू राम एयर 1962 एससी 89: [1962] एससीआर

636 ; राम सरूप बनाम। मुंशी और ओआरएस। [1963] 3 एससीआर 858 - पर भरोसा किया।

हरिहर प्रसाद सिंह और अन्य बनाम। बाल्मिकी प्रसाद सिंह और अन्य (1) एस. सी. सी. 212 [1975] 2 एस. सी. आर.

932 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2002] 5 पूरक। एससीआर 350

उस पर भरोसा करें

पै

रा 5

[1962] एससीआर 636

उस पर भरोसा करें

पै

रा 12

[1963] 3 एससीआर 858

उस पर भरोसा करें

पै

रा 13

[1975] 2 एससीआर 932

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4103

2008 से।

उच्च न्यायालय के 02.09.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1998 के आर. एफ. ए. सं. 717 में बैंगलोर में कर्नाटक का न्यायालय।

वी. एन. रघुपति, चिनमय देशपांडे, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए। अशोक कुमार शर्मा, श्रीमती बंदना सिंह, क्षितिज मुद्गल,

दीपक ज्योति घिल्डियाल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे.

1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील के आदेश के खिलाफ निर्देशित है

1998 की नियमित पहली अपील No.717 में उच्च न्यायालय। विवादित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने यह विचार लिया है कि अपीलार्थी द्वारा दायर अपील विचार के लिए जीवित नहीं रहती है। यह निम्नलिखित तर्क पर आधारित हैः

19] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी और उसके दिवंगत भाई ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें उनके द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया गया था। मुकदमे में राहत यह घोषित करने के लिए थी कि प्रतिवादी संख्या 1 गोद लिया हुआ बेटा नहीं था और उसका मुकदमे की संपत्ति पर कोई अधिकार या हित नहीं है और प्रतिवादी के खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए वादी की मुकदमे की कृषि भूमि के संयुक्त कब्जे में बाधा नहीं डालने के लिए और

प्रतिवादी सं. 2।

2. यह अपीलार्थी का मामला था कि प्रस्तावक गोविंदारेड्डी की 1946 में मृत्यु हो गई थी। वे अपने पीछे दो बेटे और एक बेटी छोड़ गए। वादियों ने

दूसरे बेटे की पत्नी बसवारेड्डी। मुक़दमे की संपत्तियाँ गोविंदारेड्डी और उनके बेटों के संयुक्त परिवार की संपत्तियाँ थीं। वादी ने दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ यह घोषणा करने के लिए 1990 के ओएस No.66 के रूप में एक और मुकदमा दायर किया है कि संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं है। इंजेक्शन की भी मांग की गई थी। उसके खिलाफ निषेधाज्ञा का आदेश दिया गया था। कुछ सलाहकारों की गलत सलाह पर यह उनका मामला था कि उन्होंने पहले प्रतिवादी को गोद लेने का दिनांक 27.04.1991 का एक झूठा दस्तावेज बनाया है। प्रतिवादी 3 और 4 पर आरोप है कि उन्होंने दूसरे प्रतिवादी को गोद लेने पर पहले प्रतिवादी को दिया था। निचली अदालत ने मुकदमे को खारिज कर दिया और इसलिए गोद लेने को बरकरार रखा। जैसा कि उल्लेख किया गया है, उक्त फैसले के खिलाफ, दोनों वादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष पहली अपील को प्राथमिकता दी। यह तब है जब अपील के लंबित रहने के दौरान दूसरे वादी/दूसरे अपीलार्थी की मृत्यु हो गई। दूसरे अपीलार्थी के एल. आर. को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया था। इसलिए, अपील ने दूसरे अपीलार्थी को निरस्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि पारित की गई डिक्री को ध्यान में रखते हुए अपील न केवल दूसरे अपीलार्थी/वादी को बल्कि समग्र रूप से समाप्त कर देगी और तदनुसार इसका आदेश दिया गया था।

3. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है।

4. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित और विवादित निर्णय में संदर्भित निम्नलिखित आदेशों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कियाः

" 8. जब यह मामला 20 जुलाई, 2001 को सूचीबद्ध किया गया था, तो यह अदालत

इस प्रकार देखा गयाः

अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह कहा गया है कि दूसरे अपीलार्थी (वादी संख्या 2) की मृत्यु हो गई है और

दूसरे अपीलार्थी की मृत्यु, मामले को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है

अपीलार्थियों के वकील को कदम उठाने में सक्षम बनाना। हेमरेड्डी (डी) एलआर के माध्यम से।

वी. रामचंद्र यल्लपपा होसमनी [के. एम. जोसेफ, जे.]

9. अपील को 10.09.2001 पर फिर से सूचीबद्ध किया गया था। इस अदालत ने

इस प्रकार देखा गयाः

अतः अपीलार्थी सं. 2 के विरुद्ध दायर अपील समाप्त हो जाती है। अपीलार्थी नं. 1 द्वारा दायर ज्ञापन जिसमें स्वयं और अपीलार्थी नं. 2 को प्रस्तुत किया गया है, वाद अनुसूची संपत्ति के भाई और सह-मालिक हैं।
चूंकि अपीलार्थी संख्या 2 के एल. आर. ने अपील पर मुकदमा चलाने के लिए रुचि नहीं दिखाई है, इसलिए अपीलार्थी संख्या 1 अपील पर मुकदमा चलाने की अनुमति का अनुरोध करता है। तदनुसार, अनुमति दी जाती है।

5. अपीलार्थी के विद्वान वकील का तर्क होगा कि यहाँ अपीलार्थी उसी राहत की मांग करते हुए एक अलग मुकदमा दायर कर सकता था।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने 10/09/2001 पर पारित आदेश पर भरोसा किया और तर्क दिया कि हालाँकि अपीलार्थी संख्या 2 के एल. आर. ने किया

अपील पर मुकदमा चलाने के लिए रुचि नहीं दिखाते हुए, याचिकाकर्ता जो अपीलकर्ता संख्या 1 है, ने अपील पर मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए अनुरोध किया। अनुमति

उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया। प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थी द्वारा दायर अपील के अभियोजन का विरोध नहीं किया, यह जानने के बावजूद कि दूसरे अपीलार्थी ने खुद को शामिल करने का विकल्प नहीं चुना और अपील ने उसे भी समाप्त कर दिया होता। अपीलार्थी के अनुसार यह अदालत और प्रत्यर्थियों के रास्ते में इस आधार पर कार्यवाही करने के लिए खड़ा होगा कि अपील समग्र रूप से समाप्त हो गई है। दूसरे शब्दों में, उन्होंने तर्क दिया कि निष्कासन खारिज की जा रही अपील के खिलाफ काम करेगा

दूसरे अपीलार्थी की मृत्यु पर, और इस आधार पर कि अपील समग्र रूप से समाप्त हो गई है। उन्होंने एल. आर. एस. द्वारा सरदार अमरजीत सिंह कालरा (मृत) मामले में इस अदालत के फैसले की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया। और अन्य वी। प्रमोद गुप्ता (श्रीमती) (डी) एल. आर. एस. द्वारा। और अन्य; 2003 (3) एससीसी 272।

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश उन्हें यह तर्क देने से रोकने के लिए काम नहीं करेगा कि अपील समग्र रूप से समाप्त हो गई है। फरमानों का टकराव होगा, क्योंकि एक ओर, निचली अदालत ने गोद लेने को बरकरार रखते हुए एक डिक्री पारित की है, और भले ही उच्च न्यायालय अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर ले और यह मान ले कि गोद लेना अमान्य था, दो परस्पर विरोधी फरमान होंगे, एक निचली अदालत द्वारा, जो जहां तक मृतक दूसरे अपीलार्थी का संबंध है, अंतिम हो गया है और दूसरा उच्च न्यायालय द्वारा इसके विपरीत दृष्टिकोण रखते हुए। यह नहीं है।

कानून में विचार किया गया है और इसलिए, उच्च न्यायालय के तर्क का केवल समर्थन किया जाना है।

19] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. मुकदमेबाजी के दौरान एक पक्ष की मृत्यु ने वास्तव में परेशान करने वाले प्रश्नों को जन्म दिया है। प्रक्रिया न्याय का पहला हाथ है, कानून की तकनीकीताओं को न्याय की मांगों पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और योग्यता के आधार पर एक मामले पर विचार करते हुए न्यायालय के मार्ग में बाधाओं को सामान्य रूप से अप्राप्य नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर, यदि तथाकथित प्रक्रियात्मक आवश्यकता न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए मूल कानून के एक संपूर्ण सिद्धांत से ली गई है, तो वह नहीं हो सकती है

अनदेखी की गई।

आदेश XXII नियम 3 सीपीसी

" 3. कई वादियों में से किसी एक की मृत्यु के मामले में प्रक्रिया या

एकमात्र वादी का

(1) जहां दो या दो से अधिक वादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार केवल जीवित वादी या वादी के पास नहीं रहता है, या एकमात्र वादी या एकमात्र जीवित वादी की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार बना रहता है, न्यायालय, उस ओर से किए गए आवेदन पर, मृत वादी के कानूनी प्रतिनिधि को पक्षकार बनाएगा और मुकदमे के साथ आगे बढ़ेगा।

(2) जहां कानून द्वारा सीमित समय के भीतर उप-नियम (1) के तहत कोई आवेदन नहीं किया जाता है, वहां मुकदमा समाप्त हो जाएगा जहां तक मृतक वादी का संबंध है, और प्रतिवादी के आवेदन पर, न्यायालय उसे वे खर्च प्रदान कर सकता है जो उसने मुकदमे का बचाव करने में किए होंगे, जिन्हें मृतक की संपत्ति से वसूल किया जाएगा।
वादी "।

8. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि आदेश XXII नियम 3 आदेश 41 के तहत दायर अपीलों पर भी लागू होता है। आदेश XXII नियम 3 घोषित करता है कि

अपील एक से अधिक वादियों या अपीलार्थियों द्वारा दायर की जाती है, जैसा भी मामला हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह तब लागू होता है जब कोई एकमात्र वादी या एकमात्र अपीलार्थी होता है। ऐसी स्थिति में, वादी या अपीलकर्ताओं में से किसी एक की मृत्यु होने पर और मुकदमा करने का अधिकार केवल शेष वादी/वादी या अपीलकर्ता/अपीलकर्ताओं के पास नहीं रहता है, तो मृतक के एल. आर. पार्टी रिकॉर्ड पर आ सकती है। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो सामान्य रूप से, जहां तक मृतक पक्ष का संबंध है, कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।

हेमरेड्डी (डी) एलआर के माध्यम से। वी. रामचंद्र यल्लपपा होसमनी [के. एम. जोसेफ, जे.]

9. आइए सबसे पहले हम इस बात की जांच करें कि क्या मुकदमा करने का अधिकार केवल अपीलार्थी के पास है या मुकदमा करने का अधिकार एल. आर. के पास उपलब्ध था।

मृतक अपीलार्थी भी। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दूसरे अपीलार्थी के लिए कानूनी प्रतिनिधि उपलब्ध थे। यह ऐसा मामला नहीं है जहां दूसरे अपीलार्थी की संपत्ति अपीलार्थी को दी जाएगी।

यहाँ उत्तरजीविता द्वारा या अन्यथा। इसलिए, आदेश XXII नियम 3 को संचालित करने की अनुमति देने के लिए पहली आवश्यकता पूरी की जाती है। मान लीजिए, दूसरे अपीलार्थी के संबंध में प्रतिस्थापन के लिए कदम नहीं उठाए गए थे। इसलिए, अपील ने उसे समाप्त कर दिया जैसा कि आदेश XXII नियम 3 (2) द्वारा घोषित किया गया है। यद्यपि आदेश XXII नियम 2 इतना ही घोषित करता है, सिद्धांत विकसित हुआ है कि कुछ प्रकार के मुकदमों में, के परिणाम उपशमन एक पक्ष केवल मृतक पक्ष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अन्य सभी पक्षों और मुकदमेबाजी को भी प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में, एक मुकदमा या एक अपील, जैसा भी मामला हो, समग्र रूप से कार्यवाही के कम होने से असामयिक रूप से समाप्त हो जाएगी।

10. जिस सवाल का हमें जवाब देना है, वह यह है कि क्या यह ऐसा मामला है? शिकायत में आरोप जैसा कि हमने देखा है

कि वाद संपत्ति संयुक्त संपत्ति है और दूसरे प्रतिवादी का संपत्ति पर कोई विशेष अधिकार नहीं था। उसने एक झूठा दस्तावेज़ बनाया था जिसे गोद लेने के विलेख के रूप में वर्णित किया गया था जिसके द्वारा उसने पहले प्रतिवादी को गोद लेने का इरादा किया था। पहला प्रतिवादी गोद लिए गए बेटे के रूप में मुकदमे की संपत्ति पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। गोद लेने की कथित तिथि पर, दूसरे प्रतिवादी का पति जीवित था। उनकी मृत्यु 16.04.1987 पर हुई थी।

वादियों के साथ संयुक्तता। वादी मुकदमे की भूमि और अन्य संपत्ति के संयुक्त मालिक थे। जब दूसरे प्रतिवादी का पति बसावरेड्डी जीवित था, तो उसे गोद लेने पर पहले प्रतिवादी को लेने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 मुकदमे की संपत्ति पर किसी भी स्वामित्व ब्याज या अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

11. इस मामले में अभिवेदनों और मांगी गई राहत को नोट करने के बाद हम इस आधार पर आगे बढ़ सकते हैं कि यह अपीलार्थी का मामला था कि वादी की संपत्ति अपीलार्थी और उसकी संयुक्त पारिवारिक संपत्ति थी।

मृतक भाई। निचली अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया। परिणाम यह हुआ कि दूसरे प्रतिवादी द्वारा पहले प्रतिवादी को गोद लेने को, जिसे अपीलार्थी और उसके दिवंगत भाई द्वारा चुनौती दी गई थी, बरकरार रखा गया। उक्त निर्णय पर अपीलार्थी और उसके दिवंगत भाई द्वारा एकल अपील में सवाल उठाया गया था। जब अपील इतनी लंबित थी कि दिवंगत भाई का निधन हो गया। दिवंगत भाई के संबंध में अपील को समाप्त करने के बाद, निचली अदालत का आदेश अपीलार्थी के मृत भाई के लिए अंतिम हो गया है। उसी का प्रभाव यह है कि गोद लेना [2019] 7 एस. सी. आर. है।

जबकि अपीलार्थी और उसके द्वारा दायर वाद पर निर्णय लेना होगा दिवंगत भाई ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया जाता है। दोनों आदेश एक साथ नहीं रह सकते हैं। अपरिवर्तनीय संघर्ष होगा। प्रतिवादी आम हैं। उन्हें एक ही विषय के संबंध में दो फरमानों का सामना करना पड़ेगा जो अपरिवर्तनीय रूप से परस्पर विरोधी हैं।

12. पंजाब राज्य बनाम नाथू राम ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 89 में

पंजाब सरकार ने दो भाइयों की कुछ जमीनों का अधिग्रहण किया था। प्रस्तावित मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार करने पर, उनके संयुक्त दावे को इस आधार पर मध्यस्थता के लिए भेजा गया कि भूमि संयुक्त रूप से उनकी है। उनके पक्ष में एक पुरस्कार पारित किया गया। सरकार ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। अपील के लंबित रहने के दौरान, एक भाई की मृत्यु हो गई। समय सीमा के भीतर उनके एल. आर. को दर्ज करने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने खारिज किया कि

अपील की और तर्क दिया कि यह उस व्यक्ति के खिलाफ समाप्त हो गया है जिसकी मृत्यु हो गई है और अपील समग्र रूप से समाप्त हो गई है। पंजाब राज्य बनाम नाथू राम (सुप्रा) में पृष्ठ 638,640 पर इस न्यायालय ने जो कुछ निर्धारित किया है, उसका विज्ञापन करना उपयोगी हैः

" संहिता अन्य प्रत्यर्थियों के खिलाफ अपील को कम करने का प्रावधान नहीं करती है। अदालतों ने माना है कि

कुछ परिस्थितियों में, सह-उत्तरदाताओं के खिलाफ अपील

इसके खिलाफ अपील में कमी के परिणामस्वरूप भी कमी आएगी। मृतक उत्तरदाता। वे हमेशा किसी मामले की विशेष परिस्थितियों के परिणाम के संबंध में सहमत नहीं हुए हैं और

नतीजतन, राय में भिन्नता रही है सिद्धांत का अनुप्रयोग। यह कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं करेगा

मामलों पर विचार करें। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि जब ओ. XXII, आर। 4 करता है

सह के खिलाफ अपीलों को कम करने का प्रावधान नहीं है

मृतक प्रत्यर्थी के उत्तरदाताओं के खिलाफ अपील को कम करने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। कहने के लिए कि अपीलें उनके खिलाफ कुछ परिस्थितियों में कम किया गया, सही नहीं है

बयान। बेशक, उनके खिलाफ अपील कुछ परिस्थितियों में आगे नहीं बढ़ सकती है और इसलिए इसे खारिज करना पड़ता है। इस तरह

परिणाम अपील में मांगी गई राहत की प्रकृति पर निर्भर करता है।

हेमरेड्डी (डी) एलआर के माध्यम से। वी. रामचंद्र यल्लपपा होसमनी [के. एम. जोसेफ, जे.]

ओ. आई. के प्रावधानों से भी यही निष्कर्ष निकाला जाना है, संहिता की धारा 9, जिसमें यह प्रावधान है कि किसी भी मुकदमे को पक्षकारों के गलत या गैर-शामिल होने के कारण विफल नहीं किया जाएगा और न्यायालय, प्रत्येक मुकदमे में, जहां तक वास्तव में उसके समक्ष पक्षकारों के अधिकारों और हितों के संबंध में विवाद में मामले से निपट सकता है। अतः यह इस प्रकार है कि यदि न्यायालय के अधिकारों और हितों के संबंध में विवादग्रस्त मामले से निपटा जा सकता है। अपीलार्थी और मृतक प्रत्यर्थी के अलावा अन्य प्रत्यर्थियों को अपील के साथ आगे बढ़ना होगा और उस पर निर्णय लेना होगा। जब न्यायालय के लिए ऐसे मामलों से निपटना संभव नहीं होगा, तभी उसे अपील के साथ आगे बढ़ने से इनकार करना होगा और इसलिए इसे खारिज करना होगा।

यह प्रश्न कि क्या न्यायालय ऐसे मामलों से निपट सकता है या नहीं, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और इसलिए नहीं।

उन परिस्थितियों के बारे में विस्तृत बयान दिया जा सकता है जब यह संभव है या संभव नहीं है। तथापि, यह कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से इस प्रश्न पर निर्णय लेने में न्यायालय के साथ विचार करने वाले विचार यह हैं कि क्या अपीलार्थियों और मृतक के अलावा अन्य प्रत्यर्थियों के बीच अपील को उचित रूप से गठित कहा जा सकता है या कहा जा सकता है कि इसमें सभी आवश्यक पक्ष हैं।

न्यायालय के समक्ष विवाद के निर्णय के लिए। इसे निर्धारित करने के लिए परीक्षण को विभिन्न रूपों में वर्णित किया गया है। न्यायालय अपील के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे (क) जब अपील की सफलता से न्यायालय का निर्णय आ सकता है जो अपीलार्थी और मृतक के बीच निर्णय के साथ टकराव में हो।

प्रत्यर्थी और इसलिए जो न्यायालय को एक डिक्री पारित करने के लिए प्रेरित करेगा जो उस डिक्री के विरोधाभासी होगी जो उसी विषय वस्तु के संबंध में अंतिम हो गई थी अपीलार्थी और मृत प्रत्यर्थी; (ख) जब अपीलार्थी केवल उन प्रत्यर्थियों के खिलाफ आवश्यक राहत के लिए कार्रवाई नहीं कर सकता था जो अभी भी न्यायालय के समक्ष हैं और (ग) जब जीवित प्रत्यर्थियों के खिलाफ डिक्री, यदि अपील सफल होती है, तो अप्रभावी होती है, अर्थात, इसे सफलतापूर्वक निष्पादित नहीं किया जा सकता था।

मृतक प्रतिवादी के अलावा अन्य प्रत्यर्थियों के बीच अपील के साथ अदालत की कार्यवाही के बारे में अदालतों के बीच कोई मतभेद नहीं रहा है, जब अपील में डिक्री [2019] 7 एस. सी. आर. थी।

केवल उसके पक्ष में डिक्री को अंतिम बना देगा, और यह कर सकता है कोई परिस्थितियाँ नहीं, निर्णय पर एक प्रतिक्रिया है

अपीलार्थी और अन्य डिक्री धारकों के बीच विवाद

या उनके बीच अंतिम आदेश के निष्पादन पर।

कठिनाई हमेशा तब उत्पन्न होती है जब एक संयुक्त डिक्री होती है। यहाँ

फिर से, राय की आम सहमति यह है कि यदि डिक्री संयुक्त है और अविभाज्य, अन्य उत्तरदाताओं के खिलाफ अपील भी नहीं होगी

के साथ आगे बढ़ना होगा और इसके परिणामस्वरूप बर्खास्त करना होगा

उसके विशिष्ट हित को प्रभावित करने वाली डिक्री को अंतिम बनाना और कि अन्य प्रत्यर्थियों के खिलाफ डिक्री को उपयुक्त रूप से निपटाया जा सकता है

अपीलीय न्यायालय द्वारा। हम इस दृष्टिकोण को सही नहीं मानते हैं। मृतक के शेयरों या ब्याज का विनिर्देशन

प्रतिवादी डिक्री की प्रकृति को प्रभावित नहीं करता है और

केवल यह नहीं कि अपीलार्थी और मृतक के बीच डिक्री प्रतिवादी अंतिम हो गया है, लेकिन एक आवश्यक परिणाम के रूप में भी, कि

अपीलीय न्यायालय, किसी भी तरह से, उस डिक्री को सीधे संशोधित नहीं कर सकता है

या अप्रत्यक्ष रूप से। इसका कारण साफ है। इसकी अनुपस्थिति में

मृतक उत्तरदाताओं के कानूनी प्रतिनिधि, अपीलीय

कानूनी प्रतिनिधि जो कानूनी अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं डिक्री के तहत प्रतिनिधि। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि

न्यायालय जो संशोधन करेगा वह किस अपवाद के लिए है ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ”

(जोर दिया गया)

राज्य का यह तर्क देने का प्रयास कि भाइयों के पास समान अधिकार थे

गाँव के अभिलेखों में भूमि की और इसलिए, अपील होनी चाहिए

एड ने अदालत में अपील नहीं की। यह न्यायालय आगे बढ़ा

यह सेवा दें कि भाई ने एक संयुक्त दावा किया है और एल. आर. के माध्यम से एक संयुक्त डिक्री हैमरेड्डी (डी) थी।

और अपील की रूपरेखा उस डिक्री के संदर्भ में थी जिसे चुनौती दी गई थी। अपील विफल हो गई। यह तुरंत ध्यान दिया जाएगा कि यह एक ऐसा मामला था जिसमें आदेश XXII नियम 4 शामिल था। आदेश XXII नियम 4 इस प्रकार हैः

" 4. कई प्रतिवादियों में से एक या एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु के मामले में प्रक्रिया -

(1) जहां दो या दो से अधिक प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार अकेले जीवित प्रतिवादी या प्रतिवादियों के खिलाफ नहीं रहता है, या एकमात्र प्रतिवादी या एकमात्र जीवित प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार बना रहता है, न्यायालय, उस ओर से किए गए आवेदन पर, मृत प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधि को एक पक्ष बनाया जाएगा और मुकदमे के साथ आगे बढ़ेगा।

(2) इस प्रकार बनाया गया कोई भी व्यक्ति मृतक के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अपने चरित्र के लिए उपयुक्त कोई भी बचाव कर सकता है।

प्रतिवादी।

(3) जहां कानून द्वारा सीमित समय के भीतर उप-नियम (1) के तहत कोई आवेदन नहीं किया जाता है, वहां मृतक के खिलाफ मुकदमा समाप्त हो जाएगा।

प्रतिवादी।

(4) न्यायालय जब भी उचित समझे, वादी को छूट दे सकता है।

ऐसे किसी भी प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से, जो लिखित बयान दायर करने में विफल रहा है या जो इसे दायर करने के बाद सुनवाई में पेश होने और मुकदमे को लड़ने में विफल रहा है; और ऐसे मामले में, ऐसे प्रतिवादी की मृत्यु के बावजूद, उक्त प्रतिवादी के खिलाफ निर्णय सुनाया जा सकता है।
और उसका वही बल और प्रभाव होगा जैसे कि मृत्यु से पहले इसका उच्चारण किया गया हो।

13. अगला निर्णय जो हम देखेंगे वह राम सरूप बनाम मुंशी और अन्य में निर्णय है। 1963 (3) एससीआर 858। इस मामले में राज्य द्वारा दायर अपील के लंबित रहने के दौरान एक प्रतिवादी की मृत्यु शामिल थी। सवाल यह था कि पंजाब एलियनशन ऑफ लैंड एक्ट, 1900 के निरस्त होने के बावजूद क्या छूट का अधिकार उपलब्ध रहेगा। दीवानी अपीलों में से एक में, जिन पूर्व-रिक्तकर्ताओं ने पूर्व-नियुक्ति के अधिकार का दावा किया था, जिनकी संख्या 4 थी, उन्होंने विनिधानकर्ताओं के खिलाफ आदेश प्राप्त किया। अपीलार्थी विक्रेताओं ने रुपये में संपत्ति खरीदी थी। 22,750 / - . अपीलार्थी सं। 1 और 2 ने Rs.11,375/- की राशि का भुगतान किया। अन्य 3 अपीलार्थियों ने दूसरे आधे का भुगतान किया। बिक्री विलेख से पता चला कि यह मृतक-अपीलार्थी के पक्ष में अलग-अलग वस्तुओं की बिक्री का मामला नहीं था, बल्कि दो [2019] 7 एस. सी. आर. द्वारा प्राप्त संपत्तियों के एक पूरे समूह का मामला था।

समान हिस्से में विक्रेताओं का समूह। अपीलार्थियों द्वारा अपील लंबित होने पर, पहले अपीलार्थी की मृत्यु हो गई और यह उसके खिलाफ समाप्त हो गया। तथ्यों के इस समूह में यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने के लिए आगे बढ़ा कि डिक्री एक संयुक्त डिक्री है और डिक्री का एक हिस्सा उपशमन के कारण अंतिम हो गया है, पूरी अपील समाप्त हो जाएगी। तर्क यह था कि कोई आंशिक पूर्व-समावेशन नहीं हो सकता था क्योंकि पूर्व-समावेशन विक्रेताओं के स्थान पर पूर्व-रिक्तियों का प्रतिस्थापन था और यह पाया गया कि यदि मृत विक्रेता अपीलार्थी के हिस्से के संबंध में पूर्व-रिक्तियों के पक्ष में डिक्री अंतिम हो गई थी तो दो परस्पर विरोधी फरमान होंगे यदि अपील की अनुमति दी जानी थी और जहां तक अपीलार्थी 2 से 5 का संबंध था, पूर्व-समावेशन के डिक्री में हस्तक्षेप किया गया था। यह तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए कि आदेश XXII नियम 3 आदेश XXII नियम 4 के विपरीत के लिए प्रदान करता है। अर्थात् आदेश XXII नियम 3 एक ऐसे मामले से संबंधित है जहां एक या अधिक वादी या अपीलार्थी या एकमात्र वादी या एकमात्र अपीलार्थी की मृत्यु मुकदमे या अपील के लंबित रहने के दौरान हो जाती है। दूसरी ओर आदेश XXII नियम 4 एक ऐसे मामले से संबंधित है जहां मुकदमों में एक या अधिक प्रतिवादी या एकमात्र प्रतिवादी या अपील में प्रतिवादी या एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है। इन दोनों मामलों में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह प्रावधानों को लागू करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है कि मुकदमा करने का अधिकार शेष वादी/अपीलार्थियों (आदेश XXII नियम 3) या

शेष एक या दो अपीलार्थी और मुकदमा करने का अधिकार मुकदमे में प्रतिवादी या प्रतिवादियों या अपील में प्रतिवादियों के खिलाफ नहीं रहता है।

अकेले या एकमात्र प्रतिवादी या जीवित प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार बना रहता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आदेश XXII नियम 2 एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां एक से अधिक वादी और प्रतिवादी हैं और

उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार अकेले जीवित वादी या वादी या अकेले जीवित प्रतिवादी या प्रतिवादियों के खिलाफ रहता है, मुकदमा या अपील जीवित वादी या वादी/अपीलार्थी या अपीलार्थी के कहने पर या अपील में मुकदमे/प्रतिवादियों में जीवित प्रतिवादी या प्रतिवादियों के खिलाफ की जाएगी।

14. राम सरूप बनाम मुंशी और अन्य में। (ऊपर), नौ व्यक्ति

दो प्रतिवादियों के खिलाफ निष्कासन और किराए की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया गया। मुकदमा तय किया गया था। प्रतिवादियों की एक अपील में, दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ निचली अदालत के आदेश को दरकिनार कर दिया गया था। सभी वादियों द्वारा दायर दूसरी अपील के लंबित रहने के दौरान, उनमें से एक की मृत्यु हो गई। उनके एल. आर. को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया और जहां तक ऐसे अपीलार्थी का संबंध है, अपील को समाप्त कर दिया गया। प्रत्यर्थियों द्वारा उठाई गई आपत्ति कि अपील को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि अपील को समग्र रूप से समाप्त कर दिया गया था, को स्वीकार कर लिया गया। एल. आर. के माध्यम से ऑर्डर हेमरेड्डी (डी) के तहत एक प्रयास किया गया था।

वी. रामचंद्र यल्लपपा होसमनी [के. एम. जोसेफ, जे.]

XXII नियम 2 में यह तर्क देते हुए कि नौ अपीलकर्ताओं ने एक संयुक्त हिंदू परिवार का गठन किया और अपीलकर्ताओं में से एक की मृत्यु पर, मुकदमा करने का अधिकार शेष अपीलकर्ताओं के पक्ष में बचा रहा, क्योंकि उस समय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित नहीं किया गया था, तथ्यों के आधार पर कहा गया था

सभी वादियों और प्रतिवादियों के लिए एक सामान्य आधार पर आगे बढ़े, और वादी/प्रतिवादियों में से कोई भी पूरे डिक्री से अपील कर सकता है और डिक्री को वादी या प्रतिवादियों के पक्ष में उलट या भिन्न किया जा सकता है क्योंकि यह पाया गया कि आदेश XLI नियम 4 केवल वादी/प्रतिवादियों में से एक को अपील दायर करने में सक्षम बनाता है और यह उस मामले में लागू नहीं होगा जहां सभी वादी ने दूसरा दायर किया था।

अपील करें। न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि अपील समग्र रूप से समाप्त हो गई क्योंकि सभी अपीलार्थियों को दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ निष्कासन प्राप्त करने का एक सामान्य अधिकार था और ऐसी डिक्री उन सभी के लिए एक सामान्य आधार पर थी। यह भी पाया गया कि प्रतिवादियों को बाहर नहीं निकाला जा सका

परिसर से जब उसे एक डिक्री के आधार पर कब्जे में रहने का अधिकार था, जिसमें कहा गया था कि एक मृतक-अपीलार्थी, संपत्ति को पट्टे पर देने में संयुक्त हित रखने वाले व्यक्तियों में से एक, उसे बाहर नहीं निकाल सकता था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिवादी के लिए किसी एक मकान मालिक के किरायेदार के रूप में बने रहना संभव नहीं था, न कि अन्य के किरायेदार के रूप में, जब उन सभी को उसे बाहर निकालने या अपने किरायेदार के रूप में रखने का संयुक्त अधिकार था।

15. हरिहर प्रसाद सिंह और अन्य बनाम बाल्मिकी प्रसाद सिंह और अन्य 1975 (1) एस. सी. सी. 212 के मामले में इस अदालत के फैसले में, वादी द्वारा स्थापित एक प्रथा की स्वीकार्यता का मुद्दा शामिल था कि वे जाति के आधार पर भूमिदार ब्राह्मण थे और जिसके तहत शास्त्री उत्तराधिकारियों की तुलना में अधिक दूर के उत्तराधिकारी भी एक अलग पुरुष सदस्य के उत्तराधिकार में शामिल हो गए, जो बिना किसी मुद्दे के मर गए और बिना किसी मुद्दे के रह गए।

विधवा। एक प्रारंभिक आपत्ति यह भी उठाई गई कि अपील स्वयं निम्नलिखित तथ्यों के तहत समाप्त हो गईः

1953 में वादी No.29 की मृत्यु हो गई। उनकी विधवा और पुत्र को प्रतिस्थापित किया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के साथ, अपने पति की संपत्ति में विधवा का हिस्सा एक पूर्ण संपत्ति बन गया। बदले में, विधवा की 1967 में मृत्यु हो गई। वे अपने पीछे बेटी और बेटे को छोड़ गई हैं। बेटे को अपने पिता की मृत्यु पर पहले से ही फंसाया जा चुका था। जिस फरमान की ओर इशारा किया गया था वह एक और अविभाज्य था और पूरी अपील समाप्त हो गई थी, जब विधवा ने अपनी बेटी को शामिल नहीं किया था, तो पूरी अपील समाप्त हो गई थी। सभी अधिकारियों को संदर्भित करने के बाद इस तर्क को खारिज कर दिया गया।

यह न्यायालय [2019] 7 एस. सी. आर. में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हरिहर प्रसाद सिंह और अन्य बनाम बाल्मीकि प्रसाद सिंह

और अन्य (सुप्रा) ने अन्य बातों के साथ इस दृष्टिकोण को इस प्रकार लियाः

" 32. इस मुकदमे के बारे में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि

वह अपने हिस्से के लिए मुकदमा कर सकता था और उसके लिए एक डिक्री प्राप्त कर सकता था।
शेयर करें। यही कारण है कि पांच खिताब सूट Nos.53 और 1934 का 61 और

20 , 29 और 1935 का 41 उसी संपत्ति के संबंध में दायर किया गया था। वर्तमान मामले में भी पहली बार मुकदमा दायर किया गया था।

पहले और दूसरे वादी द्वारा उनके एक-बारहवें हिस्से के लिए।

इसके बाद कई अन्य उलटने वाले जो मूल रूप से थे प्रतिवादी को वादी के रूप में स्थानांतरित किया गया था। हालांकि

विचारण न्यायालय की डिक्री एक थी, तीन अपील Nos.326,

332 और 1948 का 333 पक्षकारों के तीन समूहों द्वारा दायर किया गया था। इसलिए, यदि वादी में से एक की मृत्यु हो जाती है और उसका कानूनी

प्रतिनिधियों को मुकदमे या अपील को रिकॉर्ड में नहीं लाया जाता है जहाँ तक उसका संबंध है, कम हो सकता है लेकिन इसके संबंध में नहीं

अन्य वादी या अपीलार्थी।

(जोर दिया गया)

16. हम जिस अंतिम निर्णय का उल्लेख करना चाहते हैं वह निर्णय है

अपीलार्थियों ने इस पर भरोसा किया और यह एल. आर. एस. द्वारा सरदार अमरजीत सिंह कालरा (मृत) मामले में संविधान पीठ का फैसला है। & ओआरएस। बनाम प्रमोद गुप्ता (श्रीमती) (मृत) एलआरएस द्वारा। & ओआरएस। 2003 (3) एससीसी 272। उक्त निर्णय में मामला भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत उठाया गया था। निर्धारित तथ्य अन्य बातों के साथ-साथ इंगित करते हैं कि कई मालिकों द्वारा एक संयुक्त अपील दायर की गई थी। हालाँकि, अदालत ने पाया कि उनके अलग और स्वतंत्र दावे थे। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के समक्ष दावेदारों की तीन अलग-अलग श्रेणियों का उल्लेख इस प्रकार किया गया थाः

" 3. लगभग 5500 बीघा भूमि को "गैर" के रूप में वर्णित किया गया है।

ममकिन पहाड़ "(गैर-खेती योग्य पहाड़ी क्षेत्र) स्थित है।

केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के भीतर मसूदपुर गाँव का अधिग्रहण किया गया था दिल्ली के नियोजित विकास के लिए सरकार द्वारा। अधिसूचनाएँ

जारी किए गए: (1) 720 बीघा और 4 बीघा के अधिग्रहण के लिए 24.10.1961 पर

धारा 4 के तहत 4307 बीघा और 18 बीघा में से बिस्वास

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित)।

इस स्तर पर ही यह कहा जा सकता है कि 390 बीघा की सीमा

भूमि को 24.10.1961 पर अधिसूचित किया गया और इसमें पुरस्कार पारित करके अधिग्रहित किया गया

पुरस्कार No.1944 इनका विषय नहीं है।

कार्यवाही। अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणाएं एल. आर. के माध्यम से आई. ई. एम. ए. आर. ई. डी. डी. आई. (डी) जारी की गईं।

वी. रामचंद्र यल्लपपा होसमनी [के. एम. जोसेफ, जे.]

6.8.1966 पर। पुरस्कार जांच के दौरान दावे दायर किए गए थे

भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के समक्ष तीन श्रेणियों द्वारा

दावेदार इस प्रकार हैं:

i) भारत संघ और गाँव सभा द्वारा किए गए दावे कि अधिग्रहित भूमि गाँव सभा के पास निहित थी, वे दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 7 के तहत "बंजर भूमि" थीं। यह दावा इस आधार पर आगे बढ़ा कि यह न केवल 'बंजर भूमि' थी, बल्कि श्रीमती के पक्ष में जारी भूमिदारी प्रमाण पत्र भी था। गुलाब सुंदरी अमान्य था और इसमें शामिल नहीं था

कानून।

(ii) अन्य वर्ग के दावे मालिकों/सह-स्वामियों के थे।

मालिक इस आधार पर कि अधिग्रहित भूमि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 (13) के तहत परिभाषित "भूमि" नहीं थी, क्योंकि उनका उपयोग गैर-कृषि के लिए किया जा रहा था।

उद्देश्य और इसलिए, उन्हें न तो कहा जा सकता है

" बंजर भूमि "और न ही गाँव सभा में निहित होने के लिए आयोजित किया जा सकता था, क्योंकि उनमें से कोई भी विचाराधीन भूमि पर किसी भी अधिकार का दावा कर सकता था और इसलिए, वे इसके मालिक बने रहे।

मिट्टी और इस तरह के लिए मुआवजे के हकदार

स्वयं।

iii) एक और दावा श्रीमती का था। गुलाब सुंदरी और उनके हस्तांतरणकर्ताओं ने इस आधार पर भूमि पर अधिकारों के कुछ हिस्सों का हस्तांतरण किया कि वे लगभग 4307 बीघा और 18 बीघा भूमि की भूमिधर थीं और वे भूमि उनकी भूमिधारी का हिस्सा थीं-जिसमें से उन्होंने दावा भी किया था।

अन्य निजी प्रत्यर्थियों के पक्ष में 3500 बीघा तक की अविभाजित हिस्सेदारी के अधिकार हस्तांतरित करने के लिए

दावेदार "।

अपीलों के तीन सेट थे। इस अदालत ने नोटिस जारी किया

टायर मामला कानून। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 25 और 26 नीचे दिए गए हैं:

..... प्रत्येक का दावा उसके संबंध में था

" 25 .

विशिष्ट, निश्चित और अलग हिस्सा और उनके संबंधित अधिकार एक-दूसरे पर निर्भर नहीं बल्कि स्वतंत्र हैं। वहाँ उनके बीच

कोई परस्पर विरोधी या अतिव्यापी ब्याज और राहत का अनुदान नहीं है

एक का दूसरे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल तथ्य यह है कि

जमीन की स्थिति [2019] 7 एस. सी. आर. पर उल्का और सीमा द्वारा कोई विभाजन नहीं था।

इसे एक संयुक्त अधिकार के रूप में मानने का कोई कारण नहीं है-प्रकृति में अविभाज्य केवल उन सभी द्वारा एक ही कार्यवाही में एक साथ शामिल होने से, एक या दूसरी क्षमता में दावा या पुष्टि की जानी चाहिए। वास्तव में, उनके द्वारा अलग-अलग दावे दायर किए गए प्रतीत होते हैं उनके अपने हिस्से के संबंध में संदर्भ न्यायालय। भले ही उन्होंने एक सामान्य वकील को नियुक्त किया हो या भले ही उन्होंने अपने निर्दिष्ट अलग हिस्से के संबंध में एक दावा दायर किया हो, लेकिन यह उनके दावे की प्रकृति या उनके अधिकार के चरित्र को बदलने का प्रभाव नहीं डाल सकता है ताकि इसे एक अविभाज्य संयुक्त अधिकार बनाया जा सके। यद्यपि संदर्भ न्यायालय ने ऐसे सभी दावों पर एक साथ निर्णय लिया है,

दावों पर विचार करने के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दों की समानता या समान प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, सार और वास्तविकता में कार्यवाही

कानून में यह माना जाना चाहिए कि विभिन्न दावों का समेकित तरीके से निपटारा किया गया है जिसके परिणामस्वरूप संदर्भ न्यायालय के उतने ही पुरस्कार दिए गए हैं जितने उसके समक्ष दावेदार थे। उनके बीच कोई रुचि का समुदाय नहीं था और उनमें से प्रत्येक

अपने व्यक्तिगत अधिकारों को सही साबित करने में वे अपने शेयरों के अन्य दावेदारों को एक सामान्य कार्रवाई में शामिल करने के लिए बाध्य नहीं थे।

कार्यवाही और आदेश/निर्णय हालांकि एक समेकित में पारित किया गया जिस तरह से, कानून में, उतने ही आदेशों या निर्णयों के बराबर है जितना कि दावेदार थे और, बिना किसी कारण के, इसे एक संयुक्त और अविभाज्य के रूप में ब्रांडेड किया जा सकता है। दावों की समानता एक नहीं हो सकती है

उन्हें किसी भी या सभी उद्देश्यों के लिए एक एकल और अविभाज्य दावे के रूप में मानने के लिए कानून में औचित्य और इस तरह की चीज़ को रूप में पदार्थ का त्याग किए बिना वैध रूप से नहीं किया जा सकता है। उत्तरदाताओं की ओर से यह दावा कि दिया गया मुआवजा एकमुश्त है, हालांकि शेयरों को विभाजित किया गया है, योजना द्वारा गलत है

अधिनियम की धारा 11,18,30 और 31 के अंतर्गत है और इसे किसी भी योग्यता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस मामले में संदर्भ न्यायालय के फैसले के खिलाफ, प्रत्येक अपीलार्थी के लिए कानून में यह संभव और अनुज्ञेय था कि वह अपने हिस्से के संबंध में बिना किसी आवश्यकता या दायित्व के अलग से अपील दायर कर सके।

उनके जैसे दावेदारों में से प्रत्येक पक्ष-प्रतिवादी या सह-अपीलार्थी के रूप में, क्योंकि उनके बीच कोई परस्पर विरोधी हित या दावा नहीं है। इस प्रकार, संभावित असंगत या परस्पर विरोधी फरमानों के बारे में कथित और अनुमानित भय, जिसके परिणामस्वरूप अपीलों पर कार्रवाई की जाती है और गुण-दोष के आधार पर उनका निपटारा किया जाता है, का कानून में कोई आधार नहीं है और न ही तथ्यों और हेमारेड्डी (डी) थ्रू एल. आर. एस. पर अच्छी तरह से आधारित है।

वी. रामचंद्र यल्लपपा होसमनी [के. एम. जोसेफ, जे.]

इन मामलों की परिस्थितियाँ। भले ही अपीलकर्ता गुण-दोष के आधार पर सफल हो जाते हैं, लेकिन पारित डिक्री को अप्रभावी या सफल निष्पादन में असमर्थ नहीं कहा जा सकता है। तब भी यह अनुमान लगाना कि एक विरोधाभासी डिक्री अस्तित्व में आ रही है, न तो तार्किक है और न ही उचित है और न ही अदालतों द्वारा स्वीकार्य है। अन्यथा, यह प्रत्यावर्ती दायित्व के सिद्धांत को लागू करने के बराबर होगा कि किसी को बिना किसी गलती के दंडित किया जाए और केवल चूक के लिए अपने अधिकार से इनकार किया जाए या दूसरे (ओं) को अदालत में शामिल होने या चुनाव लड़ने से इनकार किया जाए। तथ्य यह है कि एक निश्चित समय पर वे सभी एक कार्यवाही में शामिल हुए क्योंकि पदानुक्रम में एक अदालत ने समानता के कारण विचार के उद्देश्य से अपने सभी व्यक्तिगत और अलग-अलग दावों को जोड़ना या जोड़ना चुना है। उनके दावों की प्रकृति या सुविधा के लिए वे अपने-अपने, विशिष्ट और विशिष्ट दावे करने के लिए एक साथ शामिल हुए।

स्वतंत्र दावे या अधिकार अपने-अपने दावों के संबंध में उपचार लेने के उनके व्यक्तिगत अधिकार को नष्ट करने का कोई आधार नहीं है। इस प्रकृति के मामलों में, इस बात की पूरी संभावना है कि उनमें से एक या दूसरे ने बाद में अपने भाग्य के साथ खुद को सुलझा लिया और अपने विरोधियों के साथ समझौता कर लिया या कानूनी कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए अनिच्छुक हो गए।

हमेशा के लिए इतने सारे कारणों से लड़ें, जैसे कि उदासीनता, उदासीनता या सुस्ती के कारण और इसलिए, एक या दूसरे का रवैया, दृष्टिकोण और संकल्प दूसरों के लिए अपने व्यक्तिगत अधिकारों को सही साबित करने के लिए अक्षम या अयोग्य कारक नहीं बनना चाहिए, बिना ग्रहण किए या दूसरों की कार्रवाई या निष्क्रियता से प्रभावित हुए। " 26. प्रक्रिया के कानून प्रभावी ढंग से विनियमित करने, पर्याप्त और वास्तविक न्याय करने के उद्देश्य की सहायता और सहायता करने के लिए हैं और व्यक्तिगत, संपत्ति और अन्य कानूनों के तहत नागरिक के पर्याप्त अधिकारों के गुण-दोष पर निर्णय को भी पूर्ववत करने के लिए नहीं हैं। प्रक्रिया को हमेशा न्याय की सहायक के रूप में देखा गया है और इसका उद्देश्य न्याय के उद्देश्य में बाधा डालना या न्याय की विफलता को पवित्र करना नहीं है। आदेश 22 सी. पी. सी. में निहित प्रावधानों के साथ-साथ उनके बाद के संशोधनों को सावधानीपूर्वक पढ़ने से इस विचार को श्रेय और समर्थन मिलेगा कि उन्हें एक प्रभावी निर्णय में उनकी निरंतरता और पराकाष्ठा सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था और न कि कार्यवाही की आगे की प्रगति को बाधित करने के लिए और इस तरह गैर-कानूनी कार्यवाही को रोकने के लिए।

समान रूप से रखे गए अन्य लोगों के लिए उपयुक्त है जब तक कि उनके विशिष्ट और [2019] 7 एस. सी. आर.

संपत्ति या किसी भी दावे के लिए स्वतंत्र अधिकार बरकरार रहते हैं और नहीं कार्यवाही में एक या दूसरे की मृत्यु के कारण हमेशा के लिए खो दिया।

आदेश 22 में निहित प्रावधानों को सिद्धांत के एक कठोर मामले के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि न्याय के प्रशासन में सुविधा के एक लचीले उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए। यह तथ्य कि खाटा को संयुक्त कहा जाता था, तब तक कोई प्रासंगिकता नहीं है, जब तक कि उनमें से प्रत्येक के पास संपत्ति में अपने स्वयं के स्वतंत्र, विशिष्ट और अलग-अलग हिस्से थे, जैसा कि अलग-अलग जमाबंदी में ही इंगित किया गया है। उनमें से प्रत्येक के शेयर स्पष्ट रूप से।

इस प्रकार, न्यायालय ने प्रक्रिया के कानूनों को लागू करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला ताकि पर्याप्त न्याय की सुविधा हो सके। न्यायालय ने आगे निम्न निर्णय दिए:

" 30. अतः यह प्रश्न कि न्यायालय के समक्ष कार्यवाही कब असंभव या संभव हो जाती है दोनों पक्षों में से किसी एक या दूसरे पक्ष की मृत्यु के कारण आंशिक रूप से समाप्त होने के बाद, हमेशा इस तथ्य पर निर्भर माना गया है कि क्या डिक्री

प्राप्त एक संयुक्त डिक्री या एक पृथक्कृत डिक्री है और एक संयुक्त और अविभाज्य डिक्री के मामले में यदि एक या दूसरे के खिलाफ अपील को समाप्त कर दिया जाता है, तो इसे शेष पक्षों के पक्ष या विपक्ष में भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। यदि अन्यथा, डिक्री एक संयुक्त और कई या अलग करने योग्य है, जो सार और वास्तविकता में कई फरमानों का एक संयोजन है, तो उनके बीच या उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए कोई बाधा नहीं हो सकती है।

मृतक के अलावा अन्य पक्ष। जैसा कि नाथू में देखा गया है राम मामले (ऊपर) में, संहिता स्वयं अन्य प्रत्यर्थियों के खिलाफ अपील को कम करने का प्रावधान नहीं करती है, भले ही इस तरह के एक के खिलाफ यह कम हो गया हो, लेकिन यह केवल अदालतें हैं जिन्होंने यह अभिनिर्धारित किया है कि कुछ परिस्थितियों में सह-प्रत्यर्थी के खिलाफ अपील भी मृत प्रत्यर्थी के खिलाफ उपशमन के परिणामस्वरूप समाप्त हो जाएगी। अपीलार्थियों के विरुद्ध अपील की स्थिति अन्य मामलों की तरह ही होगी। आदेश 22 नियम 4 को मृतक प्रत्यर्थी के सह-प्रत्यर्थियों के खिलाफ अपील (ओं) को कम करने का प्रावधान नहीं करने के लिए भी माना गया था और इसमें विशेष रूप से यह कहा गया था कि यह कहना कि उनके खिलाफ अपील भी कुछ परिस्थितियों में कम हो गई है, सही नहीं है।

बयान। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एल. आर. के माध्यम से ऐसे अन्य हेमारेड्डी (डी) के खिलाफ अपील की गई थी।

प्रत्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है और इसलिए, कुछ परिस्थितियों में उन्हें बर्खास्त करना पड़ा।

(जोर दिया गया)

" 34. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम मानते हैंः -

(1) जहाँ कहीं भी वादी या अपीलार्थी या याचिकाकर्ता पाए जाते हैं।

अपने स्वयं के विशिष्ट, अलग और स्वतंत्र अधिकार रखने के लिए और सुविधा के उद्देश्य से या अन्यथा, अपने अधिकारों को सही साबित करने के लिए एक ही मुकदमे में एक साथ जुड़ने के लिए, उस पर न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को एक या दूसरे पक्ष के पक्ष में कई फरमानों के संयोजन के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि एक संयुक्त और अविभाज्य डिक्री के रूप में। प्रतिवादियों या प्रतिवादियों के मामले में भी यही स्थिति होगी जिनके पास उनके खिलाफ दावों को चुनौती देने के समान अधिकार हैं।

(2) जब भी एक से अधिक के अलग-अलग और विशिष्ट दावे किए जाते हैं।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत या पक्षकारों के व्यक्तिगत अधिकारों के दावे में कार्यवाही और/या दावों की समान प्रकृति में एक ही कार्यवाही में पुष्टि करने की मांग की जाती है, जिन्हें संबंधित अदालतों द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है, समेकित किया जाता है और एक ही निर्णय या डिक्री पारित की जाती है, इसे केवल एक या एक से अधिक पक्षों के पक्ष में या उनके खिलाफ कई फरमानों के संयोजन के रूप में माना जाना चाहिए, न कि संयुक्त और अविभाज्य फरमानों के रूप में।

(3) केवल यह तथ्य कि दावों या अधिकारों का दावा किया गया या उनकी मांग की गई

एक से अधिक समान या समान प्रकृति के दावेदारों द्वारा या किसी विशेष प्रकृति के ऐसे दावेदारों में से एक से अधिक दावेदारों के एक साथ जुड़ने से खुद को साबित करना कानून में पर्याप्त नहीं होगा।

उन्हें संयुक्त दावों के रूप में, ताकि उस पर पारित निर्णय या डिक्री को संयुक्त और अविभाज्य बना दिया जा सके।

(4) सवाल यह है कि क्या किसी मामले में डिक्री है

संयुक्त और अविभाज्य या संयुक्त और पृथक्कृत या पृथक्कृत का निर्णय लिया जाना चाहिए, पूरी अपील को ठीक से और विधिवत रूप से गठित या प्रस्तुत नहीं किए जाने के रूप में कम करने या खारिज करने के उद्देश्यों के लिए आगे बढ़ने के लिए अक्षम, केवल इस तथ्य के संदर्भ में निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या कार्यवाही में पारित निर्णय/डिक्री शेष पक्षों के संबंध में विरोधाभासी या असंगत [2019] एस. सी. आर.

फरमान। इस कारण से, एक डिक्री को विरोधाभासी कहा जा सकता है

या किसी अन्य डिक्री के साथ असंगत केवल तभी जब दोनों डिक्री

और कि एक का प्रवर्तन अस्वीकार या असंभव बना देगा दूसरे का प्रवर्तन। ”

(जोर दिया गया)

17. क्या यह एक ऐसा मामला है जब अपीलार्थी और उसके भाई

विशिष्ट और स्वतंत्र दावे और अधिकार और सुविधा के लिए वे मूल रूप से मुकदमे में वादी के रूप में और अपीलकर्ता के रूप में शामिल हुए थे बाद में अपील में? क्या यह एक ऐसा मामला है जहां संयुक्त डिक्री है या यह एक ऐसा मामला है जहां डिक्री अलग करने योग्य है? तो क्या यह एक अलग करने योग्य डिक्री है या दो फरमानों का संयोजन है? क्या डिक्री यदि अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में पारित की जाती है तो इसका परिणाम एक डिक्री में होगा जो ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री के विरोधाभासी है।

18. इस मामले में, निस्संदेह जैसा कि हमने अपीलार्थी को नोट किया है और

उसके दिवंगत भाई ने एक घोषणा के लिए वादी के रूप में मुकदमा दायर किया कि पहला प्रतिवादी गोद लिया हुआ बेटा नहीं था और उसे कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने निषेधाज्ञा की भी मांग की। निचली अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया। आइए हम विपरीत स्थिति लेते हैं। यह मानते हुए कि मुकदमा निचली अदालत द्वारा घोषित किया गया था और अपील प्रतिवादियों द्वारा की गई थी, और प्रतिवादियों द्वारा अपील लंबित होने पर, यदि अपीलार्थी के दिवंगत भाई की मृत्यु हो गई थी और यदि प्रतिवादियों ने दिवंगत भाई के कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया था और उसके खिलाफ अपील को समाप्त कर दिया था, तो क्या अपीलार्थी के लिए अपील में प्रतिवादी के रूप में यह तर्क देना खुला नहीं होगा कि यदि अपील को उसके दिवंगत भाई के कानूनी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में आगे बढ़ने की अनुमति दी जानी थी और सफल होना था, तो एक असंगत डिक्री होगी। एक ओर, विचारण न्यायालय द्वारा यह घोषणा करते हुए एक डिक्री होगी कि पहला प्रतिवादी गोद लिया हुआ पुत्र नहीं था और अपीलार्थी के दिवंगत भाई की संपत्ति में उसका कोई हित नहीं था। दूसरी ओर, अपीलीय न्यायालय को एक डिक्री पारित करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है जो

इस प्रभाव से कि पहला प्रतिवादी गोद लिया हुआ पुत्र पाया गया था और संपत्ति पर उसका अधिकार और हित था और उस प्रभाव की घोषणा करनी होगी। क्या अपीलीय न्यायालय को तब अनिवार्य रूप से यह निर्णय नहीं लेना होगा कि यद्यपि अपीलार्थी के मृत भाई के पक्ष में डिक्री अंतिम हो गई है, और इसके तहत एक घोषणा दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 गोद लिया हुआ बेटा नहीं है और उसे संपत्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है और उसके खिलाफ एक निषेधाज्ञा है कि वह गोद लिया हुआ बेटा है जो उस डिक्री का विरोध करता है जो निचली अदालत द्वारा पारित की गई है जिसने हेमारेड्डी (डी) थ्रू एल. आर. प्राप्त किया है।

और सूट कम हो गया होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह तर्क दिया जा सकता है कि भले ही अपीलकर्ता और उसके दिवंगत भाई ने संयुक्त अधिकार का मामला स्थापित किया हो, लेकिन इसका मतलब केवल यह होगा कि वे संपत्ति के सह-मालिक हैं, और इसलिए, उन्हें सह-मालिक के रूप में स्वतंत्र अधिकार थे जिन्हें दो अलग-अलग कार्यवाहियों में प्रचारित किया जा सकता था, और इसलिए, मुकदमे को खारिज करने वाले निचली अदालत के आदेश को दो अलग-अलग फरमानों के रूप में माना जाना चाहिए-एक डिक्री। अपीलार्थी के खिलाफ और दूसरा उसके दिवंगत भाई के खिलाफ। फिर भी, वह डिक्री, जिसे पारित करने के लिए उच्च न्यायालय को आमंत्रित किया जाएगा, अपीलार्थी के दिवंगत भाई के खिलाफ डिक्री के साथ विरोधाभासी और असंगत होगी जो कानून में अनुमेय नहीं हो सकती है।

21. डिक्री, जो अपीलार्थी अपील में सफल होने पर प्राप्त करेगा, उस डिक्री के बिल्कुल विपरीत होगी जिसमें यह भी कहा गया है -

अपने दिवंगत भाई और प्रतिवादियों के बीच अंतिमता प्राप्त की। वे परस्पर अपरिवर्तनीय हैं, पूरी तरह से असंगत हैं। एक तरफ से एक तरफ लेटने पर, केवल एक ही धारणा होगी कि एक दूसरे के दांतों में है। एक में, वाद खारिज कर दिया जाता है जबकि दूसरे में, वाद का फैसला किया जाता।

22. यह तर्क कि 10/09/2001 पर पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, जिसके द्वारा अपीलार्थी के दिवंगत भाई की मृत्यु के बावजूद, [2019] 7 एस. सी. आर. को अनुमति दी गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अदालत द्वारा दी गई अपील पर मुकदमा चलाया जाएगा

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अपील समग्र रूप से समाप्त हो गई है, पारित किए जा रहे आदेश के खिलाफ रोक को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी के दिवंगत भाई की मृत्यु का प्रभाव उस कार्यवाही के कारण होता है जो उस डिक्री की असंगतता से उत्पन्न होती है जो उस डिक्री के साथ अंतिम हो गई है जिसे अपीलार्थी

अंतर्वर्ती आदेश असंगत डिक्री द्वारा उत्पन्न कानूनी बाधा को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जो दिवंगत भाई के कानूनी प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित करने में विफलता और उनके कार्यकाल को कम करने के परिणामस्वरूप सामने आता है। उनके दिवंगत भाई द्वारा दायर अपील। नतीजतन, हम अपील में कोई योग्यता नहीं देखते हैं। तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।

या

चिका खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे